संख्या-91/2021/461/23-9-2021-01एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत व चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2021**

विषयः अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, पीलीभीत के पत्र संख्या-459/1ए, दिनांक 08.03.2021 एवं जिलाधिकारी, चन्दौली के पत्र संख्या-651/1ए, दिनांक 12.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूर्व में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत् निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद पीलीभीत व चन्दौली के 08 चालू कार्यो हेतु स्तम्भ-9 में उल्लिखित मांग की धनराशि रू0 1,63,02,000/- (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख दो हजार मात्र) के सापेक्ष स्तम्भ-10 के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि अर्थात रू0 1,63,02,000/- (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख दो हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	1.04. 2020 को अवशेष	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पीलीभीत	मकरन्दपुर मार्ग से शिवपुरिया सम्पर्क मार्ग।	124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0 सी0पी0/2019, दि0 09.12.2019	0.850	45.93	18.37	23.12	23.12	23.12
2	पीलीभीत	शहीद सुरेन्द्र सिंह मार्ग रुद्रपुर से नौगवां सम्पर्क मार्ग।	124/2019/आ0-125(1) /23-9-2019-06एस0 सी0पी0/2019, दि0 09.12.2019	0.650	35.52	14.21	17.88	17.88	17.88
3	चन्दौली	विरना में मुसहर बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	1.50	59.56	29.57	29.99	29.99	29.99

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	1.04. 2020 को अवशेष	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	चन्दौली	नेकनामपुर में हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	1.50	59.39	29.5	29.89	29.89	29.89
5	चन्दौली	सोनौली में हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	0.875	34.49	17.13	17.36	17.36	17.36
6	चन्दौली	जमुरा में बेटाडीह सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	1.20	45.92	22.81	23.11	23.11	23.11
7	चन्दौली	नेगुरा में तरिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	0.31	13.14	6.53	6.61	6.61	6.61
8	चन्दौली	धानापुर) ग्राम नरौली (में भुट्टन की मड़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	125/2019/आ0-142(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019	0.775	29.92	14.86	15.06	15.06	15.06
			कुल योग	**7.66**	**323.87**	**152.98**	**163.02**	**163.02**	**163.02**

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या उपरोक्त तद दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्य / वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
6- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
7- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
8- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
9- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
11- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in